

भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

Wildlife Protection Act, 1972

WPA

WPA

I. Introduction

परिचय

II. प्रावधान

III. मुख्य संशोधन

✓ 2003

✓ 2006

✓ 2022

I. परिचय


• वन्य जंतु, पक्षी
एवं दुर्लभ वन्य
पादपों के संरक्षण
हेतु

- भारत में पाए जाने वाले
- प्रवासी प्रजाति - जो भारत आते हैं

समस्त भारत में
लागू हैं.


प्रभाव क्षेत्र
विशद
(Comprehensive)

II. प्रावधान

- 1 ✓ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय बोर्ड का गठन
- 2 ✓ वन्य जीवों के शिकार पर नियंत्रण
- 3 ✓ " " के तथा उनके अंगों के व्यापार पर नियंत्रण
- 4 ✓ राष्ट्रीय जैविक उद्यान प्राधिकरण
- 5 ✓ वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र 
 - NP
 - WLS
 - ConsR
 - CommR
- 6 ✓ राष्ट्रीय व्याप्य संरक्षण प्राधिकरण
- 7 ✓ राष्ट्रीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

II.1 राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तरीय वन्य जीव बोर्ड

राष्ट्रीय



वन्य जीव संरक्षण का मार्गदर्शन तथा समन्वयन

संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना
↳ NP
↳ कभी-कभी

WLS
केंद्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श देना.

राज्य



राज्य

मुख्यमंत्री

राज्य के पर्यावरण एवं वन मंत्री

राज्य सरकार को परामर्श.

II 2. वन्य जीवों के शिकार पर नियंत्रण

प्रजातियों को अलग-अलग सूची में रखा गया है → इसी आधार पर संरक्षण प्राप्त है.

अनुसूची

2022 के संशोधन के पूर्व

6 अनुसूचियाँ

2022 के संशोधन
के बाद

4 अनुसूचियाँ

6 अनुसूचियाँ

Sc. I

सर्वाधिक संरक्षित

जंतु प्रजातियाँ

- शेर
- हाथी
- बाघ
- डॉल्फिन
- etc.

Sch II

Sch III

Sch IV

✓ अपेक्षाकृत कम संरक्षण वाले जंतु

✓ II > III > IV (क्रमशः कम हो रहा संरक्षण स्तर)

Sch V

अवांछित (Vermin)


✓ इनको मारना

अपराध नहीं

Sch VI

दुर्लभ वन्य पक्षी

2022 के संशोधन के बाद की 4 अनुसूचियाँ



पुरानी व्यवस्था

नयी व्यवस्था

I

I (अपेक्षाकृत बड़ा)

II, III, IV

II

V

हटा दिया गया

VI

III

IV → नया जोड़ा गया.

CITES (अलग class होगी)

अभिसमय

अंतरराष्ट्रीय व्यापार

Convention on International Trade of

Endangered Species of Fauna and Flora

संकटग्रस्त प्रजाति

जंतु

पादप

(= Washing Convention)

- 1973 में लाया गया
- 1975 से लागू

सचिवालय: Geneva,
Switzerland

(तीन) 3 परिशिष्ट (Appendix)

I
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
प्रतिबंधित

II
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
नियंत्रित

III
अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार पर
नियंत्रण की
आवश्यकता
(अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
जरूरी)

शिकार पर नियंत्रण

- शिकार प्रतिबंधित
- कुछ मान्य अपवाद

निर्णय का अंतिम अधिकार (1,2,4,5,6)
राज्य के Chief
Wildlife Warden
(CWLW) के पास

- 1 → अन्य जीव मानव जीवन के खतरा
- 2 → " " " संपत्ति " "
- 3 → आत्मरक्षा / किसी अन्य की जीवन रक्षा
- 4 → अनुसंधान
- 5 → वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए
- 6 → दया मृत्यु